रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-13012026-269323
CG-MH-E-13012026-269323

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 37] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 13, 2026/पौष 23, 1947
No. 37] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 13, 2026/PAUSHA 23, 1947

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 13 जनवरी, 2026

फा. सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2026/292.—भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, एएमसी रेपो क्लियरिंग लिमिटेड, यूनिट नंबर 503, विंडसर, ऑफ सीएसटी रोड, कलिना, सांताक्रूज़ पूर्व, मुंबई – 400098, द्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018 के विनियम 12 के तहत मान्यता का नवीकरण प्रदान करने के लिए किए गए आवेदन पर विचार करते हुए और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि यह व्यापार के हित में होगा, प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) के हित में होगा और ऐसा करना लोक हित में भी होगा, एतद्वारा, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 8क की उप-धारा (4) के साथ पठित धारा 4 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त समाशोधन निगम (क्लीयरिंग कारपोरेशन) को मान्यता का नवीकरण 17 जनवरी, 2026 को प्रारंभ होने वाली और 16 जनवरी, 2027 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए इस शर्त के अध्यधीन प्रदान करता है कि समाशोधन निगम (क्लियरिंग कॉर्पोरेशन) समय-समय पर नियमानुसार निर्धारित की गयी शर्तों का या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पालन करेगा:

परन्तु यह की समाशोधन निगम उन ऋण प्रतिभूतियों (डैट सिक्यूरिटिज़) में रेपो और रिवर्स रेपो से संबंधित लेनदेन (ट्रांसेक्शन) का समाशोधन (क्लीयरिंग) और निपटान (सेटलमेंट) करने के सिवाय कोई क्रियाकल्प नहीं करेगा, जिनका लेनदेन (डीलिंग) या जिनमे सौदेबाज़ी (ट्रेडिंग) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में की जाती है ।

कमलेश चंद्र वार्ष्णेय, पूर्णकालिक सदस्य

[विज्ञापन-III/4/असा./612/2025-26]

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 13th January, 2026

F. No. SEBI/LAD-NRO/GN/2026/292.— The Securities and Exchange Board of India, having considered the application for grant of renewal of recognition under Regulation 12 of the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2018, by AMC Repo Clearing Limited, Unit No. 503, Windsor, Off CST Road, Kalina, Santacruz East, Mumbai – 400098 and being satisfied that it would be in the interest of the trade, in the interest of securities market and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by section 4 read with sub-section (4) of section 8A of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, renewal of recognition to the said Clearing Corporation for one year commencing on the 17th day of January, 2026 and ending on the 16th day of January, 2027, subject to the condition that the Clearing Corporation shall comply with the conditions as may be prescribed by rules or specified by the Securities and Exchange Board of India from time to time:

Provided that the Clearing Corporation shall not undertake any activity except that of clearing and settling of transactions in repo and reverse repo in the debt securities that are dealt with or traded on a recognized stock exchange.

KAMLESH CHANDRA VARSHNEY, Whole Time Member

[ADVT.-III/4/Exty./612/2025-26]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA